



48
31-10-16
न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

R-7231-I16

निगरानी प्रकरण क्रमांक

-एक/2016

403
31-10-16
माधौ सिंह पुत्र रामदयाल जाटव

बाई नं. 132 श्योपुर,

तहसील व जिला श्योपुर मध्य प्रदेश

---आवेदक

विरुद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

आफ स्टाम्प जिला श्योपुर

---असल अनावेदक

2- अहमद हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन

गणपति रिसोर्ट के पीटे श्योपुर

---तरतीबी अनावेदक

(निगरानी आवेदन - कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला श्योपुर सह अति० तहसीलदार एवं जिला पंजीयक श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 201/05/1176/10-11 सहपटित 4 बी-105/2009-10 में भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33, 38(2) सहपटित 40 के अंतर्गत जारी कुर्की बारंट दिनांक 20-10-12 के विरुद्ध)

कृ०पृ०३०-२

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षियों का अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
<p><u>23/5/18</u></p>	<p>शावक शमिद फल जो पीठ नामक उपस्थित/ उनके बड़ा अनुसंधान किया गया है कि प्रकलन सह शाग वही चमामा-चाहनेले शत; प्रकलन न चमामे के कारण इसी तरह पर-लमादा किया जा रहा है</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	<p>चराना नही चाहने है अब <u>23/5/18</u></p>